



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ०प्र०)



05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक-
सेवा में,

147 / रेनुकूट / 15-37 दिनांक, रेनुकूट, जुलाई,

11

,2022

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत में कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे. आरक्षित वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि० तथा वर्तमान में मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग करने हेतु 25 वर्षों (दिनांक-01.04.2013 से 31.03.2038 तक) की लीज नवीनीकरण के संबंध में । ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Others/19811/2016**

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 43/11-सी- **FP/UP/Others/19811/2016** लखनऊ दिनांक- 04.07.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का संदर्भित पत्र दिनांक- 04.07.2022 में अंकित बिन्दुओं से संबंधित सूचना/अभिलेख निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 43/11-सी- FP/UP/Others/19811/2016 लखनऊ दिनांक- 04.07.2022 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में संलग्न हार्डकापी भाग-2 के क्रमांक-6 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है , जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उल्लंघन किया गया है । अतः सही स्थिति का उल्लेख कर संशोधित हार्डकापी भाग-2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें तथा ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक -16 में भी अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव के हार्डकापी भाग-2 में सही स्थिति का उल्लेख करते हुए संशोधित हार्डकापी भाग-2 प्रस्ताव में संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करा दिया गया है ।
2	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन का विवरण फीड नहीं है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन का विवरण फीड करा दिया गया है ।
3	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक -13 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व में दी गयी समतुल्य गैर वन भूमि का विवरण ,Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet भी अपलोड किया गया है । अतः इसे डिलिट कर वर्तमान में प्रस्तावित CA से	इस बिन्दु के अनुपालन में ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व में दी गयी समतुल्य गैर वन भूमि के विवरण को डिलिट कराते हुए प्रस्ताव में सी०ए० हेतु प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet &

संबंधित विवरण Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet & Kml file अपलोड करे ।

Kml file को अपलोड करा दिया गया है ।

प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार के पत्र दिनांक- 29.01.2018 के पैरा-सी में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जबकि विषयगत प्रकरण में लीज अवधि दिनांक- 31.03.2013 को समाप्त हो चुकी है । इसके उपरान्त भी प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है । अतः इस संबंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक- 29.01.2018 के पैरा-बी में दिये गये प्राविधानों का भी परीक्षण कर बिन्दुवार अपनी स्पष्ट आख्या अभिलेखों सहित प्रस्ताव में संलग्न करे तथा तदानुसार संशोधित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करे ।

इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक- 29.01.2018 के पैरा-B एवं C में अंकित विवरण एवं उसका हिन्दी रूपान्तरण निम्नानुसार है :-

(B)	In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC	उन मामलों में जहाँ एफसी अधिनियम के तहत प्रस्ताव विचाराधीन है और वन भूमि को एफसी के अनुदान से पहले बदल दिया गया है
(C)	Violation/non - compliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act .	एफसी अधिनियम के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन / गैर-अनुपालन।

2- यहाँ यह उल्लेख करना है कि प्रश्नगत प्रकरण से आच्छादित 3.79 हे० वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के पूर्व उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 1252/14-बी-503/61 दिनांक- 25.04.1964 द्वारा मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० को लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी ।

3- उक्त हस्तान्तरित लीज की अवधि समाप्त होने के उपरान्त आगे की अवधि हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या- 08बी/09/324/92/एफ०सी०-सी०-407 दिनांक- 23.05.1995 द्वारा 5(पाँच) शर्तों के अधीन तथा उ०प्र० शासन के आदेश संख्या- जी०आई०-159/14-2-95-503/1961 दिनांक- 16 जनवरी 1996 द्वारा 9(नौ) शर्तों के अधीन नवीनीकरण आदेश जारी किया गया है ।

4- प्रश्नगत प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित किसी भी शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है । उ०प्र० शासन के आदेश दिनांक- 16.01.1996 में अधिरोपित शर्त संख्या-1 का आंशिक उल्लंघन किया गया है जिस हेतु भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक- 29.01.2018 के बिन्दु संख्या- सी के अनुपालन में एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि का दोगुने धनराशि जमा कराये जाने हेतु वांछित आंकलन प्रमाण पत्र एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के आदेश दिनांक- 29.01.2018 के बिन्दु संख्या- बी का प्राविधान आकर्षित नहीं होता है ।

प्रस्ताव के साथ संलग्न पेन ड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग-अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के0एम0एल0 फाइल पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित पेन ड्राइव प्रस्ताव के साथ संलग्न करा दिया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की 3 प्रति।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

संख्या-147 अ/सम दिनांकित।

प्रतिलिपि : श्री के0जी0गनेरीवाल प्रमुख-मानव संसाधन,, मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र